"निगम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करता है।"

क्षेत्रीय कार्यालय

REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम

तार शाज्य बीमा

You are

Grams : Rajya Beema

	No. 13/27227 48 मिला अपनारा राज्य बीमा निगम RED	
	No. 13/27727/19 EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION Date	
	SECTOR-16, FARIDABAD	
	सेवा में To Sh. Mukul Goyal, S/O Sh. Mahesh Chand Goyal, R/O A-318, Shivalik Mal	lviv
	Nagar, New Del	lhi.
	Sector 37. Gurgaon.	
	विषय: कर्मचारी राज्य वीमा अधिनिगम, 1948 का कार्यान्वियन-कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधियिम, '(यथा-संशोधित) की धारा 2 (12) / 1 (5) के अन्तर्गत कर्मचारियों तथा कारखानों / स्थापनाओं	ों क
	Subject : Implementation of the E.S.I. Act. 1948—Registration of Employees' and Factories/Estak ment under section 2 (12) / 1 (5) of the E.S.I. Act, 1948 as amended. प्रिय महानुभाव Dear Sirs,	
	ग्रापको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा ग्रधिनियम, 1948 की घारा 1 (3) के केन्द्रीय सर ने ग्रधिसूचना संख्यादिनांकद्वाराक्षेत्र में सभी कारखानों को ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत व्याप्त करने हेतु ग्रधिनियम के उपलब्ध लागू कर दिए गए हैं।	नयम
	Thave to inform that Section 1 (3) of ESI Act, the Central Government has vide notification No S.D.604	ories
	2. मुभे यह भी सूचित करना है कि उपयुक्त सरकार ने ग्रिधिनियम की धारा 1 (5) के ग्रन्तर्गत ग्रिधिसूचना संख्या (प्रतिसंत्र के है) द्वारातारीख से ग्रन्य स्थापनाग्रों पर ग्रिधियम के उपबन्ध	न्धों/
	I have further to inform you that the appropriate Government has extended the provisions of the Act other establishment under Section 1 (5) of the ESI Act. with effect from .25/4/76 vide notification No 30.77-5-1 ab75/9878 dated	
	3. ग्रिधितियम की घारा 2क के ग्रन्तगंत ऐसे कारलाने/स्थापना को ग्रिधितियम के ग्रन्तगंत पंजीकृत करना ग्रिविवाय कराएं तथा ग्रिधित्यम के ग्रन्तगंत प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे ग्रपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत कराएं तथा ग्रिधित्यम के ग्रन्तगंत व्याप्त सभी कर्मचारियों के ग्रंशिदान की ग्रदायगी करें। Under Section 2A of the Act such a factor (5 to the section 2)	कृत
	Under Section 2A of the Act. such a factory/Establishment is required to register itself under the A and Chapter IV thereof casts a responsibility on the Principal Employer thereof to insure its employees a to pay contributions in respect of such employees covered under the Act. 4. आपके द्वारा भेजे गए आपके कारलाने/स्थापना के विवरण के अनुसार दिनांककी बीमा निरीक्षक स्थानी कार्यालय प्रवस्थक द्वारा आपके कारलाने/स्थापना की निरीक्षण सम्बन्धी निरीक्षण प्रिकेट के बीमा निरीक्षक स्थानी	and
	स्थापना दिनाक म अविनियम की घारा 2 (12) 1 (5) की सीमा में आता है फिर भी यदि, बाद में जा	TT/
×	On the basis of the particulars in respect of your Factory / Establishment submitted by you the repo	ort
	the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provisions of the Act. w.e.fl./1/2001	16P) to
	5. आपसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के अन्तात व्याप्ति को तिथि से आप अपने कारखाने/स्थापना के कर्मचारियं तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण करें! तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण करें!	

आपकी सुविधा के लिए कारखाने/स्थापना की कृट संख्या-स कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय प्रयोग किया जाए तथा उक्त संस्था सभी कार्यों में यबास्थान दशायी जाए ।में स्थिति निगम के स्थानीय कार्यालय को अनुदेश भेज दिए गए हैं कि वे आपके कभैजारियों के पंजीकरण से सम्बन्धित प्रक्रिया में ग्रापकी हर सम्भव सहायता करें। कोई कठिनाई होने पर ग्रथवा योजना से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन के लिए ग्राप उपरिलिखित स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक से ग्राप सम्पर्क करें जो ग्रापकी इस सम्बन्ध में हर सम्भव सहायता करेंगे।

For the sake of convenience your Establishment has been allotted Code No.1.3/.27.7.274/18h may kindly be used in all communications sent to this office and all forms at the places indicated for the purpose. The Local Office of the Corporation situated at. Civil Line, Gurgaen, has been instructed to render necessary assistance to you in connection with registration of your employees, in case you find any difficulty or for any other purpose which may be necessary in connection with the Scheme, you are requested to contact the Manager of the above Local Office who will render necessary help in the matter.

7. प्रमुरीय है कि बीमा चिकित्सा व्यवसायियों राज्य बीमा प्रीयवालयों की सुचियों का अपने कारखानों/स्थापना में भरसक प्रवार कर ताकि आपके कर्न वारी अपने राज्य वीमा श्रीषधाल गों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों का चयन कर सकें ग्रवेक्षित फार्म ग्रादि उपरिलिखित स्थानीय कार्यालय से प्राप्त करं, जिस के साथ ग्रापके सभी कर्मवारी भी सम्बद्ध होंगे।

It is requested that publicity may kindly be given to lists of Insurance Medical Practitioners/State Insurance Dispensaries, in your Factory/Establishment to enable your employees to choose their Stern Insurance Dispensaries/Insurance Medical Practitioners Required from etc. may please be collected from the Local Office mentioned above, to which all your employees will also be attached.

8. कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्त्रीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंक शाला प्रों की एक सूची संत्रन है। आप अपनी सुविधानुसार इन शाला श्रों में मे कोई एक शाला चुनने की कृपा करें श्रौर इसकी सूचना इस कार्यालय को तथा भारतीय स्टेट बक की सम्बन्धित शाखा का भेन दें तथा केवल उक्त शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि जमा करायें। यदि इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर आपसे कोई सूचना पाष्त नहीं होती है तो जिस अधिकृत शाखा विशेष में आपने ग्रंशदान की राशि जमा कराई होगी उसे ग्रापके कारलाने/स्थापना के जिए "नामिन शाला" मान लिया जाएगा।

A list of Bank Branches who are authortsed to accept ESI contributions is enclosed. You may kindly choose one of these branches convenient to you under intimation to this office and to the concerned branch of the State Bank of India and desposit the ESI dues In the Branch only In case no intimation is received within 15 days of the receipt of this letter the amount of contribution deposit in one of the specified branch would be considered as Nominated Branch for your Factory/Establishment.

9. निगम के कर्मचारी राज्य बीमा अबिनियम 1948. के अन्तर्ग । आपकी अपने कर्तव्यों दायित्वों के निवंहन हेतू हर सम्भव एव ग्रावश्यक सहायता सहवं गदान करेंगे। मुक्त विश्वास है कि ग्राव कर्मवारो राज्य वीमा ग्रविनियम तथा विनि-मयों के उपवन्धों की यथा समय तत्परता से अनुपालन करेंगे।

The Corporation Officials would be pleased to render all necessary and possible assistance to you discharging your duties and obligations under the ESI Act. 1948 and I am confident of prompt and timely compliance with the provisions of the E.S.I. Act. and Regulations on your part.

ग्रन्लग्तक: यथोपरि : as above

कृते क्षेत्रीय निदेशक : For Regional Director

प्रतिलिपि Copy to : * Div V, GRG.

Civil Line ···/स्थानीय कार्यानय प्रवन्धकः

Insurance Inspector/Local Office Manager. (Name of Principal Employer)

पंजीकरण शाखा/निरीक्षण शाखा। Registration Branch/Inspection Branch.

3. हितलाभ शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय। Benefit Branch. Regional Office.

Sh. Mukul Geyal, S/O Sh. Mahesh Chand G eyal, R/O A-310, Shivalik Malviya Nagar, New Delhi.

4. बीमा शाखा - 1

Insurance Branch-1.

Ledger Cell No. of employees according to Survey Report Form 01.

* Please check the complete record and recommend FDC.

कृते क्षेत्रीय निदेशक For Regional Director